राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या 130/2013 अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट पुनाराम बनाम जोरसिंह वगैरा

निर्णय आदेशिका
दिनांक 18–6–2018

आज यह पत्रावली राज्य सरकार के आदेशानुसार विचाराधीन राजस्व प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण कर पक्षकारान को राहत प्रदान करने की दृष्टि से न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के तहत राजस्व लोक अदालत केम्प वेलांगरी मे मेरे समक्ष पेश हुई । विचाराधीन प्रकरण की सुनवाई के दौरान सूचना के बावजूद भी वादीगण व वकील वादीगण व प्रतिवादीगण व वकील प्रतिवादीगण कोई भी हाजिर नही हुये है। हमने पत्रावली के संलग्न प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट जमाबंदी संवत 2068 से 2071 खसरा नंबर 605 जमाबंदी संवत 2068 से 2071 खसरा नंबर 632,नक्शा ट्रेस,नक्शा किश्तवार,मिलान क्षैत्रफल की प्रति तथा प्रार्थनापत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी दिनांक 23–9–2013 वकील प्रतिवादी का गहनतापूर्वक अध्ययन कर उस पर मनन किया । सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त यह पाया कि अप्रार्थी वादग्रस्त कृषि आराजी मौजा आमली पटवार हल्का वेलांगरी के जमाबंदी संवत 2068 से 2071 तक खसरा नंबर 632 रकबा 2.4300 हेक्टयर का खातेदार कृषि जोरसिंह पुत्र प्रेमसिंह राजपूत सनवाडा खातेदार कृषक है। प्रार्थी वादग्रस्त कृषि आराजी का खातेदार कृषक नही है। और न ही प्रार्थी ने वादग्रस्त कृषि भूमि का प्रथम दृष्टयॉ टाईटल व आधिपत्य वादग्रस्त कृषि भूमि पर काबिज काश्त होने का दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किये है। कानूनन अप्रार्थी वादग्रस्त कृषि आराजी का खातेदार कृषक होने से उसके विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती । उक्त सभी के आधार पर प्रथम दृष्टयॉ मामला,सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष मे नही होकर अप्रार्थी के पक्ष मे जाहिर होता है। उपरोक्त सभी के आधार पर प्रार्थी विचारण यह प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट का साबित करने मे असफल रहने से प्रार्थीगण का यह प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट का स्वीकार योग्य नही होने से अस्वीकार (खारिज) किया जाता है। उपरोक्त निर्णय राजस्व लोक अदालत केम्प वेलांगरी अटल सेवा केन्द्र पर मजमे आम मे सुनाया गया ।

18/6/18

सहायक कलक्टर
सिरोही